उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2
संख्या–क0नि0–2-1291/ग्यारह–9(150)/15–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(139)–2015
लखनऊ: दिनांक: 11 सितम्बर, 2015

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 74 के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची–एक में दिनांक 11 अगस्त, 2015 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

उक्त अनुसूची–एक में, क्रम संख्या 52 की प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:–

क्रम संख्या	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
53	राज्य सरकार की शहरी रिक्शा चालकों को मोटर/बैट्री चालित ई–रिक्शा की मुफ्त वितरण योजना के अन्तर्गत वितरित/वितरण के लिये मोटर/बैट्री चालित ई–रिक्शा

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।